राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

ब्लॉक–5, द्वितीय एंव तृतीय तल
डा. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

फोनः– 2705483 फैक्सः– 2701822

क्रमांकः–एफ–14 ( )/डाइस/राप्राशिप/जय/2013–14/ 11176 दिनांकः– 27/10/14

अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक,
सर्व शिक्षा अभियान,
जिला– भरतपुर।

विषयः– यू–डाइस 2014–15 के ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण करवाने के संबंध में।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांकः– जिपस/भरत/यू–डाइस/2014–15/6667 दिनांक 22.10.2014

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि दिनांक 11.09.2014 को आयुक्त सर्व शिक्षा अभियान व निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण हेतु निम्न निर्देश प्रदान किये गये थेः–

1. एसएसए व आर.एम.एस.ए के ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण गत वर्ष की भांति संयुक्त रूप से किये जावेगें। ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षणो का व्यय सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से वहन किया जावेगा। जिसका समायोजन परिषद् स्तर पर किया जावेगा। उक्त ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षणों में एडीपीसी आर.एम.एस.ए द्वारा पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान किया जावेगा।
2. ब्लॉक स्तर पर आयोजित प्रशिक्षणों में संभागियों के लिए किये जाने हेतु व्यय का प्रावधान परिषद् द्वारा पूर्व में दिये गये आदेश क्रमांकः– एफ14 ()/डाइस/राप्राशिप/जय/2013–14/9145–46 दिनांकः– 09.09.2014 के द्वारा 100 रूपये प्रति व्यक्ति की दर से व्यय करने हेतु निर्देशित किया गया लेकिन संभागियों द्वारा स्वंय के कार्यालय द्वारा नियमानुसार दैनिक एवं यात्रा भत्ता लेने के निर्देशों के कारण उक्त संभागियों पर 100 रूपये के स्थान पर 50 रूपये प्रति संभागी की दर से चाय, नाश्ता एवं वर्किंग लंच हेतु व्यय किया जाना है तथा प्रशिक्षण के दौरान संभागियों को किसी भी प्रकार का नकद भुगतान देय नही होगा।

27/X/2014

अतिरिक्त आयुक्त

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, आर.एम.एस.ए, जयपुर।
3. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
4. उपनिदेशक (डाइस), आर.एम.एस.ए, जयपुर।
5. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान, समस्त जिले को प्रतिलिपि भेजकर लेख है कि ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षणों में किये जाने वाले व्यय उक्त निर्देशों के अनुसार करवाने हेतु सुनिश्चित करें।
6. रक्षित पत्रावली।

27/X/2014

अतिरिक्त आयुक्त